बिहार की 'जानकारी' से सीखेंगे आंध्र जैसे अग्रणी राज्य

पटना | प्रगति मेहता

आंध्रप्रदेश जैसे आईटी क्षेत्र के अग्रणी राज्य भी बिहार की 'जानकारी' से सीखेंगे। अरुणाचल के प्रदेश अपनी टीम भेजकर बिहार की इस पहल को सीखने की कोशिश कर रहा है। सूचना के अधिकार क्षेत्र में पहलीबार 'जानकारी कॉल सेंटर' स्थापित कर बिहार मॉडल राज्य बन गया है। इस कॉलसेंटर से न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि फोन पर ही आप सूचना के लिए आवेदन दर्ज करा सकते हैं। सूचना न मिलने पर अपील की भी सुविधा है। इस कॉलसेंटर में सुदूर गांवों से रोजाना खूब फोन आते हैं। दूसरे राज्यों से भी लोग फोन करके सूचना के लिए आवेदन देते हैं।

देश में आरटीआई लागू हुई, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस संबंध में बहुत

आरटीआई आपको सशक्त बनाता है

जानकारी नहीं है। सूचना कैसे मिलेगी। क्या प्रक्रिया है। या किस विभाग से यह सूचना मिल जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में वर्ष 2007 में एक कॉलसेंटर शुरू की गई। आरटीआई से जुड़ी जानकारी देने के लिए शुरू हुई इस कॉलसेंटर का नाम ही 'जानकारी' रखा गया।

मुख्यमंत्री ने अपने सचिवालय को इसकी देखरेख का जिम्मा दिया। सीएम खुद बीच-बीच में इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। धीरे-धीरे इस कॉलसेंटर का प्रचार-प्रसार होता गया और जनवरी 2007 में जहां एक माह में कुल 123 कॉल आए थे, वही इस वर्ष जून माह में यह बढ़कर 3113 पर पहुंच गया। अब तक 93 हजार से ज्यादा फोन आ चुके हैं। पिछले दिनों आंध्रप्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त पटना आए। अपनी तकनीकी टीम के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में 'कॉलसेंटर' को देखा। अब वह अपने राज्य में इसे लागू करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। बिहार उनकी मदद कर रहा है।

कॉल करने वालों में पटना के बाद सीतामढ़ी है टॉप पर

'जानकारी' कॉल सेंटर में रोज कई कॉल्स आते हैं। पटना से तो कॉल होते ही हैं। इसके बाद सीतामढ़ी जिले से सबसे ज्यादा कॉल आते हैं। 2010 के आखिर तक के आंकड़ें देखें तो पटना से जहां 6933 कॉल आए थे तो सीतामढ़ी से 6604 फोन। तीसरा नंबर भोजपुर का है। वहीं, सबसे कम फोन गोपालगंज से आते हैं।

गौरव की बात

- 'जानकारी कॉल सेंटर' में बिहार ने बनाया कीर्तिमान
- आंध्रप्रदेश, अरुणाचल अपने यहां कर रहे कॉल सेंटर बनाने की पहल
- बिहार अकेला राज्य जहां आरटीआई के लिए वर्षों से चल रहा कॉल सेंटर

एक लाखवें कॉलर को मिलेगा इनाम

राज्य सरकार एक लाखवें नंबर पर कॉल करने वाले व्यक्ति को इनाम देने की तैयारी कर रही है। अभी 93 हजार से ज्यादा कॉलर हो चुके हैं। एक लाख नंबर पर जिस भी व्यक्ति का कॉल आएगा वह इनाम का हकदार होगा।

क्या है प्रक्रिया

दो नंबर दिए गए हैं। एक एप्लिकेशन लाइन(155311) एवं दूसरा हेल्पलाइन(155310)। हेल्पलाइन पर फोन करने पर सामान्य फोन की दर लगती है। वहीं एप्लिकेशन नंबर पर पहले पांच मिनट का 10 रुपए लगते हैं। आपको चाहे किसी विभाग से सूचना चाहिए आप इस नंबर पर फोन कर आवेदन दे सकते हैं। सुदूर गांव से आने की जरूरत नहीं है। आपका आवेदन इलेक्ट्रॉनिकली संबंधित विभाग को चला जाएगा। सूचना न मिलने पर आप टेलीफोन पर ही अपील भी कर सकते हैं।